



उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम
मुख्य कार्यालय : 14/88 सिविल लाइन्स
कानपुर-208001
दूरभाष : 2530044
E-mail: headoffice@upfcindia.com

प्रिय उद्यमी मित्र,

उप्रोवि वित्तीय निगम (यूपीएफसी) प्रदेश में लघु मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाईयों को दीर्घ अवधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

1 नवम्बर, 1954 को स्थापित यूपीएफसी ने 31 मार्च, 2009 तक 41246 इकाईयों को रु 3237.93 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। इन इकाईयों के माध्यम से लगभग 594566 रोजगार सृजित हुए हैं।

उद्यमियों की सहज जानकारी तथा सहायता के लिए निगम की विभिन्न योजनाओं, प्रक्रिया तथा प्रपत्रों, समय सारिणी तथा उद्यमी के दायित्वों की आवश्यक जानकारी इस नागरिक चार्टर के रूप में दी जा रही है।

किसी भी सहायता, मार्ग-दर्शन व परामर्श के लिए आपका हमारे मुख्यालय या आपके निकट स्थिति बारह क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वागत है।

प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

सिटिजन चार्टर प्रणाली

- प्रदेश की औद्योगिक नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक प्रदेश बनाना।
- प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
- निगम द्वारा अपने कार्यकलापों तथा प्रक्रियाओं से पारदर्शिता अपनाना ताकि उद्यमियों को कोई शिकायत का अवसर न रहे।
- प्रचलित प्रतिभोगी दरों पर अपने उद्यमियों को त्वरित व उत्तम सुविधा/सेवा प्रदान करना।

उद्देश्य

यू०पी०एफ०सी० लघु व मध्यम स्तर की औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र की नई इकाई की स्थापना अथवा स्थापित इकाई के आधुनिकीकरण/विस्तार व उत्पाद विविधीकरण(डाइवर्सिफिकेशन) के लिए स्थाई सम्पत्तियों अर्थात् भूमि, भवन, मशीनरी व संयंत्र आदि के अर्जन के लिए ऋण उपलब्ध कराना।

विभिन्न कार्यों हेतु समय सारिणी

क्र.सं.	प्रक्रियायें	निस्तारण समय सीमा	सक्षम समिति / अधिकारी
1.	<p>ऋण के देयों का पुर्ननिर्धारण (Reschedulement)</p>	<p>वर्तमान में इकाई की वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये देय किश्तों के पुर्ननिर्धारण की समय सीमा, इकाई द्वारा सम्पूर्ण सूचनायें एवं प्रक्रिया शुल्क देने के बाद निम्न प्रकार हैं।</p>	
	<p>अ. जहाँ इकाई का मूलधन ₹0 50.00लाख तक हो</p> <p>i)यदि केवल मूलधन की देय किश्तों का पुर्ननिर्धारण करना है।</p> <p>ii)यदि मूलधन तथा ब्याज का पुर्ननिर्धारण करना है।</p> <p>ब. जहाँ इकाई का मूलधन ₹050.00लाख से अधिक है</p> <p>i) यदि केवल मूलधन की देय किश्तों का पुर्ननिर्धारण करना है।</p> <p>ii)यदि मूलधन तथा ब्याज की किश्तों का पुर्ननिर्धारण करना है।</p>	<p>10से 15दिन</p> <p>15से 20 दिन</p> <p>30दिन</p> <p>30दिन</p>	<p>प्रथम बार क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वितीय बार वरिष्ठ प्रबन्धक।</p> <p>प्रथम बार महाप्रबन्धक द्वितीय बार वरिष्ठ निदेशक</p>
2	<p>इकाई का पुनर्वासन</p> <p>अ. निगम द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के लिये</p> <p>1. कुल देयता (मूलधन तथा ब्याज एवं अतिरिक्त ऋण) ₹0 150.00लाख या इससे अधिक हो तथा जिसमें कोई माफी (waiver) नहीं है।</p> <p>2. कुल देयता (मूलधन तथा ब्याज) ₹0 150.00लाख से कम तथा कोई अतिरिक्त ऋण नहीं एवं ब्याज में माफी का प्राविधान है।</p> <p>3. यदि कुल ऋण ₹0 150.00लाख से अधिक हो तथा अतिरिक्त ऋण पर तथा(waiver)भी सम्मिलित हो।</p> <p>ब.मण्डलीय उद्योग बन्धु/</p>	<p>इकाई द्वारा सम्पूर्ण सूचना देने के पश्चात।</p> <p>30दिन</p> <p>30से 45दिन</p> <p>45से 60 दिन</p>	<p>आन्तरिक समिति</p> <p>समझौता समिति</p> <p>कार्यकारिणी समिति</p>

	<p>बी0आई0एफ0आर द्वारा संदर्भित मामलों,जिसमें निगम को Operating Agency बनाया गया है।</p> <p>1.सभी संस्थाओं जैसे: एक्साइज, व्यापार कर, बैंक, पिकप, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0वित्तीय निगम आदि के साथ प्रारम्भिक बैठक ।</p> <p>2.पुनर्वासन प्रस्ताव के प्रथम चरण का प्रारूप तैयार करना ।</p> <p>3.उपरोक्त(ब)में उल्लिखित संस्थाओं से पुनर्वासन प्रस्ताव पर विचार व सुझाव प्राप्त करना ।</p> <p>4.पुनर्वासन प्रस्ताव के अन्तिम रूप को मण्डलीय उद्योग बन्धु / बी0आई0एफ0आर0 में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा मुख्यालय के अनुमोदन के पश्चात् अग्रसारित करना ।</p> <p>3. इकाइयों को एकमुश्त योजना के प्रस्ताव की स्वीकृति :</p> <p>(ओ0टी0एस0 गाइडलाइन्स 2010 के अनुसार) यदि इकाई की सम्पत्ति हटाई/ चोरी नहीं हुई है तो,</p> <ul style="list-style-type: none"> i)मूलधन ₹0 10.00लाख तक ii)मूलधन ₹010.00 लाख से ₹0 25.00लाख तक iii) ₹025.00लाख से अधिक iv) जहाँ चोरी व बन्धक सम्पत्ति हटाई गई हो । v) सेटिलमेंट कमेटी के अन्तर्गत न आने वाले मामले । 	<p>इकाई द्वारा /operating Agency को एक विस्तृत पुनर्वासन योजना का प्रस्ताव (Detailed rehabilitation Proposal) देने के पश्चात ।</p> <p>सभी चरणों में लगभग 90दिन</p>	<p>मण्डलीय उद्योग बन्धु/ बी0आई0एफ0आर0</p> <p>क्षेत्रीय प्रबन्धक /जोन प्रभारी</p> <p>प्रबन्ध निदेशक</p> <p>समझौता /कार्यकारिणी समिति (सेटिलमेंट कमेटी)</p> <p>कार्यकारिणी समिति (ई0सी0)</p>
--	--	--	--

	इकाइयों की बिकी के प्रस्ताव	अधिकतम बोली के प्रस्तावों के प्रकाशन के पश्चात ।	
	1.यदि मूलधन रु0 5.00लाख हो तथा प्रस्ताव इकाई के मूल्यांक के बराबर या अधिक हो ।	30 दिन	सेटिलमेट कमेटी
	2.मूलधन रु05.00लाख से रु010.00लाख तथा प्रस्ताव इकाई के मूल्यांक के बराबर या अधिक हो ।	45दिन	सेटिलमेट कमेटी
	3.मूलधन रु0 10.00लाख से रु025.00लाख तक तथा प्रस्ताव इकाई के आर0आर0वी0 के बराबर हो	60दिन	सेटिलमेट कमेटी
	4.मूलधन रु025.00लाख से 100.00लाख तक तथा प्रस्ताव इकाई के आर0आर0वी0 के बराबर हो	60दिन	सेटिलमेट कमेटी
	5.मूलधन रु0100.00लाख से अधिक तथा अन्य सभी प्रस्ताव जो उपरोक्त में नहीं आते हों एवं समस्त संयुक्त वित्त पोषित (Joint financing)	60दिन	सेटिलमेट कमेटी
4	अदेयता प्रमाण पत्र (No Dues Certificate)	07 दिन (सम्पूर्ण ऋण खर्च एवं ब्याज देने के बाद)	क्षेत्रीय प्रबन्धक
5	निगम से खरीदी गयी इकाई का विक्रय विलेख (Sale Deed)	15 दिन (बिकी की सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज के जमा होने के पश्चात)	क्षेत्रीय प्रबन्धक /क्षेत्रीय कार्यालय के विधि अधिकारी
6	निगम द्वारा सभी प्रपत्रों जैसे सेल डीड, बाण्ड आफ गारण्टी को वापस करने आदि	07 दिन (ऋण ओ0टी0एस0 /सेल आदि की सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज एवं खर्चे के वापस करने के पश्चात)	क्षेत्रीय प्रबन्धक /क्षेत्रीय कार्यालय के विधि अधिकारी
7	इकाई की लेखा स्थिति के सम्बन्ध में	02 दिन	क्षेत्रीय प्रबन्धक /क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी लेखा
8	क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों की शिकायत के सम्बन्ध में	30 दिन	क्षेत्रीय प्रबन्धक / महाप्रबन्धक / प्रबन्ध निदेशक

उद्यमी के दायित्व

1. समय से ब्याज व मूलधन की किश्तों की समयबद्ध अदायगी ।
2. इकाई की चल व अचल सम्पत्तियों का सुचारु रूप से देखभाल ।
- 3 उद्योग के आधार पर इकाई की सम्पत्तियों का आवश्यक बीमा ।
- 4 निगम द्वारा समय समय पर वॉछित सूचनाओं की आपूर्ति ।

उद्यमियों की कठिनाइयों एवं शिकायतों का निराकरण

उद्यमी अपनी किसी भी प्रकार की कठिनाइयों एवं शिकायतों के सम्बन्ध में मुख्यालय में तैनात निगम के निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं :

कार्यालय दूरभाष

1- प्रबन्ध निदेशक

0512-2530868

2- वरिष्ठ प्रबन्धक

0512-2530044

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्यमी विभागीय कठिनाइयों के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित कर अपनी कठिनाइयों का निराकरण करा सकते हैं जो कि वरिष्ठ प्रबन्धक स्तर पर पदासीन है। इसी प्रकार उद्यमी अपनी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर की कठिनाइयों के निराकरण हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं ।

किसी विशेष शिकायत के सम्बन्ध में उद्यमी लिखित रूप से शिकायत मुख्यालय के तत्सम्बन्धित अधिकारियों को सीधे प्रेषित कर सकते हैं, इस हेतु यह आवश्यक होगा कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के सम्बन्ध में ठोस प्रमाण सहित अपना नाम व पूरा पता भी अपनी शिकायत में अंकित करें ।

उद्यमियों से निवेदन है कि जब भी वे निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में अपने किसी भी कार्य के निस्तारण हेतु आयें तो वे केवल सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों से ही सम्पर्क स्थापित करें ।

मुख्यालय का पता	दूरभाष
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 14 / 88, सिविल लाइन्स, कानपुर— 208001	0512-2530044

क्षेत्रीय कार्यालय का पता	दूरभाष
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, एच.आई.जी. 160,161,162 प्रीतम नगर कालोनी, प्रयागराज।	0532-2230077
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम प्रथम तल, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, प्राइवेट बस स्टैण्ड कम्पाउन्ड, गाजियाबाद।	0120-4108890
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 14 / 88, सिविल लाइन्स, चतुर्थ तल, कानपुर।	0512-2530874
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 18, मदनमोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।	0522-4042663